भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-192
उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

विद्यालयों से बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों संबंधी आंकड़े

192. श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विद्यालयों से बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों के संबंध में कोई आंकड़े हैं;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा अभिभावकों को अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) सरकार द्वारा 'शिक्षा का अधिकार' के अंतर्गत सभी छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्कूल शिक्षा संकेतकों पर डाटा अभिलेखित करने के लिए शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाईज़+) विकसित की है। यूडाईज़+ के अनुसार, वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार स्कूल छोड़ने की दर अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ग) और (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। केंद्र सरकार, की केंद्र प्रायोजित

योजना समग्र शिक्षा और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के अंतर्गत बालवाटिका से कक्षा 8 तक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने और नामांकन बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना/सुदृढ़ करना, स्कूल के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना, कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना तथा उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों के नाम से आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों की स्थापना, प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत छात्रावास, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और निःशुल्क यूनिफॉर्म, परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा आदि प्रदान करना शामिल है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायता और उपकरणों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत, छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को अपने पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अनुसार, निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर पर कम से कम 25% सीटें कमज़ोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित की जाएँगी और ऐसे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।

*****

अनुलग्नक-I

माननीय संसद सदस्य श्री बलवंत बसवंत वानखडे द्वारा 'विद्यालयों से बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों संबंधी आंकड़े' के संबंध में दिनांक 21.07.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 192 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ड्रॉपआउट दर

भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22			2022-23			2023-24		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक
भारत	1.45	3.02	12.61	7.8	8.1	16.4	1.9	5.2	14.1
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.42	0.95	5	0	1	5.5	0.8	0.4	5.5
आंध्र प्रदेश	0	1.62	16.29	0	0	14.7	0.2	1.1	12.5
अरुणाचल प्रदेश	9.25	6.69	11.74	15	10.5	16.9	5.4	6.8	19.3
असम	6.02	8.82	20.25	8.5	10.3	29.5	6.2	8.2	25.1
बिहार	0	4.62	20.46	10.7	15.8	29.5	8.9	25.9	25.6
चंडीगढ़	0	0	0	0	0.5	1.1	0	0.4	2.9
छत्तीसगढ	0.77	4.1	9.73	5.4	6.6	18.2	1.8	5.3	16.3
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	9.47	0	0.7	18.8	1.6	3.1	18.7
दिल्ली	0	0	4.84	0	1.9	7.3	0	0.6	10.4
गोवा	0	0	8.98	0.3	1.9	8.8	0.8	1.1	8.1
गुजरात	0	4.95	17.85	0	5.8	23.3	0.1	4.2	21
हरियाणा	0	0.22	5.91	1.4	3.6	15.4	1.2	4.7	13.8
हिमाचल प्रदेश	0	0.58	1.46	1	2	6.7	0	0.6	4.9
जम्मू और कश्मीर	4.03	2.99	5.96	8.9	4.2	9	1.6	3.2	13.4
झारखंड	1.77	3.85	9.31	11.5	14.5	25.7	0.9	9	15.2
कर्नाटक	0	1.08	14.65	0	0	14.9	1.7	2.7	22.1
केरल	0	0	5.49	3.1	1.9	6.7	0	0	3.4
लद्दाख	6.51	1.08	4.9	5.1	2.7	11.6	4.3	5.8	19.8
लक्षद्वीप	0.45	2.6	0	4.6	7.7	9.8	2.3	3.1	2.6
मध्य प्रदेश	3.08	8.82	10.14	6.8	10.1	21.4	1	6.7	17.7
महाराष्ट्र	0	1.53	10.72	5	5.8	16	0	0.6	10.1
मणिपुर	13.26	5.59	1.27	12.9	8.9	13.5	4.5	3.5	15.3
मेघालय	9.84	10.64	21.68	13.6	16.4	28.9	7.5	12.4	22

मिजोरम	6.35	2.73	11.9	14.8	10.5	24	3.5	5.9	14.8
नागालैंड	5.04	4	17.52	9.8	9	21.5	4.5	5.8	11.6
ओडिशा	0	7.31	27.29	0	3.1	17.7	0	2	12.8
पुदुचेरी	3.67	2.43	6.31	3.2	2.2	7.5	1.2	1.4	7.8
पंजाब	1.31	7.97	17.24	3.1	5.3	9.7	0.1	2.6	6
राजस्थान	3.57	4.32	7.65	4.4	5.7	11.9	7.6	6.8	11.1
सिक्किम	1.76	0	11.93	4.5	2.2	15.4	2.6	4.9	19
तमिलनाडु	0	0	4.47	2.3	0	10.3	0	0	7.7
तेलंगाना	0	3.14	13.74	2.1	5	11.6	0	0	11.4
त्रिपुरा	1.06	4.51	8.34	1.4	5.9	17.9	0.5	4.1	10.4
उत्तर प्रदेश	2.68	2.9	9.7	18.8	16	14.7	1.7	3.9	8.7
उत्तराखंड	0.75	2.7	5.02	7.4	5.8	8.4	0.1	2.3	7
पश्चिम बंगाल	8.62	0	17.98	8.1	3.4	8.5	0	0	17.8

स्रोतः यूडाइज+